दां०प्र०क्र० 1073/2022 शासन वि० भानुप्रताप मारकण्डेय

Witness No.---03**---for ---अभियोजन साक्षी ...Deposition taken the** 27.02.2026**.day of ----**शुक्रवार**----**

Witness apparent age-36 वर्ष **--States on affirmaton.** शपथपत्र

My name is- लाकेश कुमार साहू **s/of -** हरिशचंद साहू

occuption ----मजदूरी----

Address. ,ग्राम व ग्राम-बिरेझर,थाना-कुरुद, जिला-धमतरी छ०ग०।

राज्य द्वारा श्री भूपेन्द्र डहरिया एडीपीओ।

01. मैं न्यायालय में उपस्थित आरोपी को नहीं पहचानता हूं । मेरे समक्ष पुलिस वालों ने कोई कार्यवाही नहीं की थी । जप्ती पत्रक प्र०पी० 02 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्र०पी० 05 के द से द भाग पर मेरा हस्ताक्षर है उक्त हस्ताक्षर मैंने पुलिस वालों के कहने पर किया था । मैंने पुलिस वालों को किसी भी प्रकार का कोई बयान नहीं दिया है ।

टीपः- इसी स्तर पर अभियोजन अधिकारी श्री भूपेन्द्र डहरिया द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर उससे ऐसे प्रश्न पूछे जाने की अनुमति चाही गई, जो कि प्रतिपक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाते है। प्रकरण के अवलोकन पश्चात् अभियोजन अधिकारी को प्रश्न पूछे जाने की अनुमति प्रदान किया गया।

02. यह कहना गलत है कि मैंने पुलिस को प्र०पी० 16 के अंश "मैं उपरोक्त पते ....मेरा हस्ताक्षर है" के अ से अ भाग का कथन दिया था । यह कहना गलत है कि पुलिस वालों ने मेरे एवं ओमप्रकाश साहू के समक्ष आरोपी से एक सफेद रंग के प्लास्टिक बोरी के अंदर रखा 12 पौवा देशी मसाला शराब एवं 03 नग अध्धी देशी मसाला शराब एवं बिक्री रकम 150/- रुपये को जप्त किया था तथा आरोपी को गिरफ्तार किया था । यह कहना गलत है कि संपूर्ण कार्यवाही पुलिस वालों ने मेरे

समक्ष की थी । यह कहना गलत है कि संपूर्ण दस्तावेजों को मैंने पढ़–समझकर हस्ताक्षर किया था । साक्षी का स्वतः कथन है कि पुलिस वालों के कहने पर दस्तावेज में हस्ताक्षर किया था । यह कहना गलत है कि आज मैं आरोपी को बचाने के लिय न्यायालय में झूठा कथन कर रहा हूं ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा अधिवक्ता श्री गुणवंत सोलंके वास्ते अभियुक्त :–

03. कुछ नहीं ।

गवाह के हस्ताक्षर ....

वाचित/स्वीकृत।
सही/–
(रजत कुमार निराला)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुरूद,
जिला धमतरी (छ0ग0)

मेरे निर्देशन पर टंकित।
सही/–
(रजत कुमार निराला)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुरूद
जिला धमतरी (छ0ग0)